उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइटः **hajcommittee.up.gov.in** ; ई–मेल : **hajcommittee.up@gmail.com**

पत्रांक : जी–।।/506/एस0एच0सी/2024 दिनांक : 26.11.2024

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई ने सर्कुलर–14 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अवगत कराया है कि हज–2025 के लिए प्रत्येक चयनित हज यात्री को द्वितीय किस्त रु 1,42,000/–जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 16.12.2024 निर्धारित की गयी है। धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट https://.hajcommittee.gov.in व **हज सुविधा एप** पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यू0पी0आई के माध्यम से जमा कर सकते हैं। धनराशि हज कमेटी आफ इण्डिया के स्टेट बैंक आफ इण्डिया व यूनियन बैंक आफ इण्डिया के खाते में भी जमा की जा सकती है, पे–इन–स्लिप वेबसाइट https://.hajcommittee.gov.in व www.hajcommittee.up.gov.in पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर कवर नम्बर व बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित कर धनराशि जमा करना होगा। अन्य किस्तें हवाई जहाज का किराया व अन्य व्ययों के निर्धारित होने पर अलग से सूचित किया जायेगा।

2– हज–2025 हेतु हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा एक अन्य सर्कुलर–12 दिनांक 25.11.2024 में महरम श्रेणी में महिलाओं हेतु 500 सीटें आवंटित की गयी हैं। ऐसी महिलाएं जो अपने महरम के साथ किन्हीं कारणवश जैसे पासपोर्ट समय से जारी न होना आदि के कारण आवेदन नहीं कर सकी हैं तथा उनके महरम का हज–2025 हेतु चयन हो गया है, ऐसी महिलाएं अपने महरम के कवर में सम्मिलित होने हेतु उक्त सुविधा के अन्तर्गत आवेदन कर सकती हैं, ऐसी महिला आवेदकों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

क) महिला आवेदक ने पूर्व में हज कमेटी या प्राइवेट टूर आपरेटर के माध्यम से हज न किया हो।

ख) ऐसी महिलाओं को हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 तक किया जा सकेगा। हस्तलिखित या टाइप किया हुआ प्रार्थना पत्र या आवेदन मान्य नहीं होगा।

ग) आवेदक के पास वैद्य मशीन पठित पासपोर्ट जिसकी वैद्यता दिनांक 15 जनवरी, 2026 तक होना आवश्यक है।

घ) आवेदन करते समय आवेदक को अपने पासपोर्ट का प्रथम व अन्तिम पृष्ठ, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, आवासीय पते का प्रमाण पत्र व महरम से रिश्ता प्रमाणित होने का प्रमाण अपलोड करना आवश्यक है।

च) जिस कवर में महिला आवेदन कर रही है उसमें उनके आवेदन को सम्मिलित करते हुए पॉच से अधिक आवेदन मान्य नहीं होंगे।

छ) 500 सीटों से अधिक होने पर डिजिटल रैण्डम सेलेक्शन (ऑनलाइन लाटरी) के माध्यम से चयन किया जाएगा। राज्य हज समिति को ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का वेरिफिकेशन 11 दिसम्बर, 2024 तक करना होगा।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त ई–सुविधा केन्द्र व प्रशिक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी